तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/1/19	पत्रावली आज पेश हुई। पार्टी की प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा जिसमें प्रार्थीगण प्रश्नगत कृषि भूमि के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु सिद्ध होना नहीं पाया जाता है इससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखा आकर शामिल मिसल किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 7.1.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। 7/1/19 सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नायला	